

नरुवा (अजमेर)

21/5/15

बाद वादी स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया गया

अतः प्रथम पत्र ता. इन्फोर्मासिंस हो गया है अतः प्र. पत्र
द्वितीय श्रुतिर होकर नम्बर 2 कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
नरुवा (अजमेर)

